



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54058

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6167/2026

परमात्मानंद

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : भृगु जी सिंह, मन बहादुर सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को व्यथित महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत की मांग के साथ दायर की गई है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे खाता संख्या 320, गाटा संख्या 507 (जिसका क्षेत्रफल 0.15098 हेक्टेयर है), जो ग्राम बरवां, परगना, तहसील और जिला बलिया में स्थित है, पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें। यह आदेश विभाजन वाद संख्या 208, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202215090305429 (गोपाल बनाम छोटक और अन्य) के लंबित रहने की अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा; यह वाद यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर किया गया है और माननीय उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, बलिया के समक्ष लंबित है। यह निर्देश दिनांक 17.04.2018 के निर्णय और आदेश (विष्णुदास गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) तथा उसके अनुसरण में जारी दिनांक 16.09.2015 के सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए जारी किया जाए।

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 और 11 को भी याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से तथा विभाजन वाद के लंबित रहने की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के हिस्से पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से रोका जाए।"

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, जिला बलिया, उपर्युक्त वाद/मुकदमे का निर्णय कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः उस तारीख से छह

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



महीने की अवधि के भीतर करें, जिस तारीख को इस आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है; परंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

16 मार्च, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”